

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण)

पत्रांक: — ब्लाडा (लेखा) 02/05/2026

/पटना, दिनांक

जून, 2026

आदेश

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-02, दानापुर का पत्रांक 1002 दिनांक 07.05.2026 तथा जिला योजना पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1435 दिनांक 17.06.2026 के आलोक में उक्त कार्य प्रमंडल को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय बिहार विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमान्यता राशि के अधीन निम्न प्रकार से राशि आवंटित किया जाता है:—

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	वर्तमान में कुल आदेयता / दायित्व की राशि		पूर्व में विमुक्त राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतिशत्	अधियाचित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि
1	2		3	4	5	6	7
2023-24	MLA	2400.00	5793.10	5357.67211	92.48	360.517	17.565
	MLC	3410.665					
	Total	5810.665					
2024-25	MLA	2400.00	6214.2350	5706.14801	91.82	152.144	124.406
	MLC	3938.641					
	Total	6338.641					
2025-26	MLA	2400.00	5329.554	4849.66512	90.99	1202.2678	1202.2678
	MLC	4178.192					
	Total	6578.192					
कुल							1344.23880

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹5810.66500 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद—₹4880.95860 लाख रुपये, एस0सी0 मद—₹929.70640 लाख रुपये माना जाय।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹6638.64100 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद—₹5576.45844 लाख रुपये, एस0सी0 मद—₹1062.18256 लाख रुपये माना जाय।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹6531.82180 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद—₹5486.73031 लाख रुपये, एस0सी0 मद—₹1045.09149 लाख रुपये माना जाय।

उपर्युक्त विवरणी के स्तभ-7 में अंकित राशि यथा 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए कुल राशि ₹1344.23880 लाख (तेरह करोड़ चौवालीस लाख तेईस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-02, दानापुर को CFMS के माध्यम से राशि अंतरण करने का आदेश दिया जाता है।

शर्तें:—

- (1) आवंटित की जा रही राशि वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए है, अतएव इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं पर ही व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
- (2) आवंटित राशि के विचलन की स्थिति में संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

- (3) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2026-27 तक आवंटित राशि का वर्षवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र **BTC Form 27C** एवं **27C1** में तैयार कर बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (ब्लाडा) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (4) उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि वित्तीय वर्ष के लिए वांछित राशि (यथा आवंटित राशि का **60%** राशि) से कम होने की स्थिति में उक्त वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान्यता की अवशेष राशि विमुक्त नहीं किया जायेगा।
- (5) इस आवंटित राशि का व्यय प्रासंगिक वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जायेगा।

ह0/-

(रणजीत कुमार)

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,

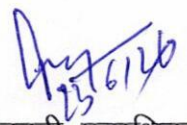
ज्ञापांक:- ब्लाडा (लेखा) 02/05/2026

336

/पटना, दिनांक 23 जून, 2026

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रशासी पदाधिकारी, (MKVY प्रभारी), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला योजना पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. लेखा शाखा, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को CFMS के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-02, दानापुर को राशि **₹1344.23880** लाख (तेरह करोड़ चौवालीस लाख तेईस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र Fund Transfer करने हेतु प्रेषित।
9. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-02, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त राशि GEN एवं SC मद के अनुसार ही राशि CFMS के माध्यम से खर्च करना सुनिश्चित करे।
10. श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी